प्रेस विज्ञप्ति

10.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने फरवरी 2025 में अमेरिका से निकाले गए भारतीयों से संबंधित 'डन्की रूट केस' में धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब और हरियाणा के अमृतसर, संगरूर, पटियाला और मोगा जिलों और अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 11 स्थानों पर 09.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए।

ईडी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 (तत्कालीन आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि जो लोग अमेरिका जाने के इच्छुक थे, उन्हें ट्रैवल एजेंटों और बिचौलियों ने कानूनी माध्यमों से भेजने का झूठा वादा करके ठगा था। हालाँकि, उन्हें डन्कर्स [मानव तस्करी के माध्यम] और माफिया की मदद से खतरनाक रास्तों से अवैध रूप से विभिन्न देशों की सीमाओं को पार करके 'डन्की रूट' के माध्यम से अमेरिका भेज दिया गया था। इसके अलावा, एजेंट, डन्कर्स और माफिया के साथ मिलीभगत करके, परिवार के सदस्यों से और अधिक पैसे ऐंठने के लिए व्यक्तियों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा करते थे।

तलाशी के दौरान**,** लोगों को **"**डन्की रूट**'** से भेजने वाले एक एजेंट के घर से **30** से ज़्यादा असली पासपोर्ट मिले। विश्वसनीय सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि एजेंटों ने संभावित ग्राहकों को ठगकर करोड़ों रुपये का नकद**/**हवाला लेन-देन किया है। तलाशी के दौरान**,** कई एजेंटों और आव्रजन एजेंसियों के नाम भी सामने आए हैं जो बड़े पैमाने पर अवैध रूप से 'डन्की रूट से अवैध व्यापार कर रहे हैं।

आगे की जाँच जारी है।